GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. TCII/2003/12/Refund Policy New Delhi, dated 14.06.2013

The General Managers,
All Indian Railways.

Sub: Amendments in the certain provisions of Refund Rules.

1. Revision of certain provisions of Refund rule (appearing in No. 213 of IRCA Coaching Tariff No. 26 Part-I (Volume-I)) has been done vide Gazette notification No. G.S.R. 362(E) dated 06.06.2013. Accordingly, a copy of the Gazette Notification is enclosed herewith. The same has been uploaded on the Indian Railways website.

2. This will come into effect from 01.07.2013.

3. The changes in the refund rule wherever required should be carried out in manual ticketing system and in PRS, UTS, SPTMs etc.

4. Special arrangements should be made to ensure that necessary instructions and the revised refund rules should reach the staff well in time. Steps should also be taken to ensure that the staff fully understand these changes in the refund rule and implement them properly.

5. Wide publicity should be given through media at regular intervals and the same may also be displayed prominently at all stations at booking/reservation counters. Action should also be taken to make changes in Passenger Information Systems at all places including Enquiry office etc.

(Dr. Monica Agnihotri)
Director (Passenger Marketing)
Railway Board

2/-

No. TCII/2003/12/Refund Policy

New Delhi, dated 14.06.2013.

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. CCMs, All Indian Railways.
2. CCM (PM)s, All Indian Railways.
3. CCO, All Indian Railways.
3. The Managing Director CRIS, New Delhi for necessary changes in the software.
4. IRCA Chelmsford Road, New Delhi, for making necessary correction slip in Rule no. 213 of IRCA Coaching Tariff No. 26 part I (Vol-I).
5. MD/IRCTC, New Delhi.
6 ADG/PR for wide publicity.
7. Managing Director, Konkan Railway Corporation, Belapur Bhawan, Plot No. 6 Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.
8. ED(FC), ED(C&IS), EDV(T), DDTC(G)-II, DDTC(G), JDF(C)

(Dr. Monica Agnihotri)
Director (Passenger Marketing)
Railway Board

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2013/ज्येष्ठ 17, 1935
No. 227] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2013/JYAISTHA 17, 1935

रेल मंत्रालय
(रेल बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2013

सा.का.नि. 362(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) संशोधन नियम, 2013 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 2013 को प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) नियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(i) (ञ) "एआरपी" अग्रिम आरक्षण अवधि अभिप्रेत है जिस तक कोई आरक्षण टिकट किसी आगामी यात्रा तारीख के लिए बुक की गई है ;

(ii) (ट) "पुष्टिकरण टिकट" से कोई टिकट अभिप्रेत है जिस पर कोई सीट या शायिका आरक्षित की गई है ;

(iii) (ठ) "टीडीआर" से टिकट जमा रसीद अभिप्रेत है जो अभ्यार्पित टिकट के लिए उस स्टेशन पर जहां यात्री द्वारा टिकट अभ्यार्पित की गई है, यात्री को जारी की गई है ;

(iv) (ड) "तत्काल टिकट" से लघुतर अग्रिम अवधि के लिए कोई टिकट अभिप्रेत है जो उन यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं जो लघु सूचना पर यात्रा करते हैं ;

(v) (ढ) "प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट" से कोई टिकट अभिप्रेत है जिस पर कोई शायिका या कोई स्थान आबंटित नहीं किया गया है ।

3. उक्त नियम के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. लिपिक प्रभार का उदग्रहण -

इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्टेशन मास्टर अनारक्षित, प्रतीक्षासूचीबद्ध और रद्द आरक्षण टिकटों (आरएसी) के लिए द्वितीय श्रेणी (अनारक्षित) के लिए पंद्रह रुपए और द्वितीय श्रेणी (आरक्षित) और अन्य श्रेणी के लिए तीस रुपए प्रति यात्री लिपिकीय प्रभार उदगृहीत करेगा ।" ।

4. उक्त नियम के नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. अप्रयुक्त टिकट जिन पर कोई आरक्षण नहीं किया गया है —

यदि किसी टिकट पर जिस पर किसी सीट या शायिका का आरक्षण नहीं किया गया है स्टेशन मास्टर को रद्दकरण के लिए प्रस्तुत की जाती है -

(i) टिकट को टिकट जारी करने के तीन घंटे के भीतर रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है ;

(ii) अग्रिम में जारी टिकटों की दशा में, यात्रा की तारीख से पूर्व दिन के चौबीस घंटे तक टिकट को प्रस्तुत किया जाता है, लिपिकीय प्रभार काटने के पश्चात् प्रत्येक ऐसे टिकट पर किराया प्रतिदाय किया जाएगा ।ऽ ।

5. उक्त नियम के नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6. अप्रयुक्त टिकट जिनपर कोई आरक्षण किया गया है -

(1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि किसी टिकट पर जिस पर किसी सीट या शायिका का आरक्षण किया गया है स्टेशन मास्टर को यात्री या उसके अभिकर्ता द्वारा रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है किराए से रद्दकरण प्रभार काटने के पश्चात् निम्नलिखित किराया प्रतिदाय किया जाएगा :-

(क) यदि टिकट रेलगाड़ी के नियत प्रस्थान के समय से चौबीस घंटे से पहले रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वातानुकूलित पहले दर्जे/एक्जीक्यूटीव दर्जे के लिए एक सौ बीस रुपए, वातानुकूलित टू टीयर/पहले दर्जे के लिए सौ रुपए, थ्री टीयर/थ्री इकोनोमी/वातानुकूलित कुर्सी यान के लिए नब्बे रुपए, स्लीपर दर्जे के लिए साठ रुपए, द्वितीय दर्जे के लिए तीस रुपए की सपाट दर पर प्रति यात्री रद्दकरण प्रभार की कटौती की जाएगी ;

(ख) यदि टिकट रेलगाड़ी के नियत प्रस्थान के समय से अड़तालीस घंटे और छह घंटे के पहले तक रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो रद्दकरण प्रभार खंड (क) में निर्दिष्ट रद्दकरण प्रभार के न्यूनतम दर के अधीन रहते हुए रद्दकरण प्रभार किराए का पच्चीस प्रतिशत होगा ;

(ग) यदि टिकट रेलगाड़ी के नियत प्रस्थान के समय से छह घंटे से पहले और दूरी को ध्यान में रखे बिना रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद दो घंटे तक रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो रद्दकरण प्रभार खंड (क) में निर्दिष्ट रद्दकरण प्रभार के न्यूनतम दर के अधीन रहते हुए, रद्दकरण प्रभार किराए का पचास प्रतिशत होगा ; और

(घ) यात्री किसी यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर या अभिहित चालू काउंटरों से टिकट रद्दकरण प्राप्त कर सकेंगे :

परंतु रात्रि में 21:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य प्रस्थान करने वाली (वास्तविक प्रस्थान) रात्रि रेलगाड़ियों के लिए प्रतिदाय यात्रा की प्रारंभ करने की स्टेशन पर चालू काउंटर उपलब्ध न होने की दशा में आरक्षण का कार्यालय खुलने के पश्चात् दो घंटे के भीतर स्टेशन पर अनुज्ञेय होगा ।

(2) आरक्षित टिकट पर यदि वह रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय के दो घंटे पश्चात् रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है प्रतिदाय नहीं दिया जाएगा ।

(3) एक व्यक्ति से अधिक के लिए जारी किसी पार्टी टिकट या किसी कुटुंब टिकट की दशा में जिसमें कुछ व्यक्तियों का पुष्टिकृत आरक्षण हो और अन्य कोई प्रतीक्षासूची पर हों वहां पुष्टिकृत यात्रियों के लिए लिपिकीय प्रभार कम करके किराए

का पूर्ण प्रतिदाय होगा और यह उपबंध है कि रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के पहले छह घंटे के भीतर और रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के दो घंटे पश्चात् तक पूर्ण टिकट अभ्यर्पित कर दी जाती है ।

6. उक्त नियम के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. अप्रयुक्त प्रतीक्षा सूचीबद्ध या रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट

(1) यदि प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट या रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो लिपिक प्रभार की कटौती करने के पश्चात् निम्नलिखित रीति में किराए का प्रतिदाय होगा, अर्थात् :—

(i) रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय के पश्चात् तीन घंटे तक दूरी को ध्यान में रखे बिना रद्दकरण के लिए टिकट प्रस्तुत किया गया है ;

(ii) यात्री किसी यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर या अभिहित चालू काउंटरों से टिकटों के रद्दकरण प्राप्त कर सकेंगे ;

(iii) रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय के तीन घंटे पश्चात् रद्द आरक्षण टिकट या प्रतीक्षा सूची टिकट पर किराए का कोई प्रतिदाय नहीं होगा ।

(2) रात्रि रेलगाड़ियों के लिए यात्रा प्रारंभ करने के स्टेशन पर 21: 00 बजे और 06 : 00 के मध्य (वास्तविक प्रस्थान समय) पर किसी चालू काउंटर के उपलब्ध न होने की दशा में, किराए का प्रतिदाय आरक्षण कार्यालय के खुलने के पश्चात् पहले दो घंटे के भीतर स्टेशन पर अनुज्ञेय होगा ।

(3) क्षेत्रीय रेल द्वारा पहचान किए गए महाप्रबंधक के पूर्व अनुमोदन से और समय सारणी में मुद्रित दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां कोई आरक्षण काउंटर या बुकिंग कार्यालय या चालू काउंटर उक्त क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, की दशा में 19: 00 बजे और 06 : 00 के मध्य रात्रि चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए प्रतिदाय आरक्षण या बुकिंग कार्यालय के खुलने के पश्चात् पहले दो घंटे के भीतर अनुज्ञेय होगा ।

(4) जहां रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) या प्रतीक्षा सूची टिकट धारक को आरक्षण चार्ट के अंतिम तैयारी तक किसी भी समय पुष्ट आरक्षण उपलब्ध करा दिया जाता है ऐसे टिकट को आरक्षित टिकट के रूप में समझा जाएगा और नियम 6 के अनुसरण में रद्दकरण प्रभार संदेय होगा ।

7क. ई-टिकटों का रद्दकरण - (1) ई-टिकट इंटरनेट के माध्यम से बुक और रद्दकरण किए जा सकेंगे तथा किराए की वापसी लागू प्रभारों की कटौती करने के पश्चात् ग्राहक के खाते में जमा होगी ।

(2) किसी पुष्ट ई-टिकट की दशा में किराए का प्रतिदाय नियम 6 के अनुसरण में होगा ।

(3) रद्द आरक्षण ई-टिकट (आरएसी) की दशा में नियम 7 के अनुसरण में किराए का प्रतिदाय होगा ।

(4) प्रतीक्षा सूचीबद्ध ई-टिकट की दशा में आरक्षण चार्ट के तैयारी करने के पश्चात् जिस पर प्रतीक्षा सूची में यात्रियों के सभी प्रास्थिति पर, उक्त यात्री नाम अभिलेख (पीएनआर) पर बुक किए गए सभी ऐसे यात्रियों के नाम आरक्षण चार्ट से निकाल दिए जाएंगे और लिपिक प्रभार की कटौती करने के पश्चात् ग्राहक के खाते में किराए का प्रतिदाय जमा कर दिया जाएगा ।

(5) एक से अधिक व्यक्तियों के लिए यात्रा के लिए जारी किसी पार्टी की टिकट या किसी कुटुंब की टिकट की दशा में कुछ व्यक्तियों को पुष्ट आरक्षण और अन्य को रद्द आरक्षण और प्रतीक्षा सूची में है, रद्द आरक्षण या प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्रियों के यात्रा न करने की दशा में टिकट जांच कर्मचारिवृंद से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र करना होगा, टिकट जांच कर्मचारिवृंद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के ब्यौरे को दर्शित करते हुए और टीडीआर के माध्यम से ऑनलाइन किराए की प्रक्रिया होगा ।

(6) ऑनलाइन टीडीआर (टिकट निक्षेप रसीद) यात्री के गंतव्य पर रेलगाड़ी के पहुंचने के वास्तविक समय के बहत्तर घंटे तक फाइल किया जाएगा और टिकट जांच कर्मचारिवृंद द्वारा जारी किया गया मूल प्रमाण-पत्र भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को डाक द्वारा भेजा जाना है ।

(7) किराए का प्रतिदाय भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा सम्यक् सत्यापन के पश्चात् ग्राहक के खाते में किया जाएगा ।

(8) ई-टिकटों [पुष्टिकृत या रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी)] की दशा में यदि आरक्षण चार्ट तैयार कर लिया गया है तो प्रतिदाय अभिप्राप्त करने के लिए ऑनलाइन टीडीआर का फाइल किया जाना अपेक्षित है ।

(9) रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय के दो घंटे के पश्चात् जब प्रतिदाय का ऑनलाइन अनुरोध फाइल किया गया है की दशा में, पुष्टिकृत आरक्षण वाले ई-टिकट पर किराए का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(10) रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय के तीन घंटे के पश्चात् जब प्रतिदाय का ऑनलाइन अनुरोध फाइल किया गया है उस दशा में, रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) ई-टिकट पर किराए का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा ।

7ख. तत्काल टिकटों पर प्रतिदाय –

(1) पुष्टि तत्काल टिकट पर किराए का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(2) प्रतीक्षा सूचीबद्ध तत्काल टिकट की दशा में किराए का प्रतिदाय नियम 7 के अनुसार प्रदान किया जाएगा ।

(3) एक से अधिक व्यक्तियों की यात्रा के लिए जारी किए गए पार्टी तत्काल टिकट या कुटुंब तत्काल टिकट की दशा में जब कुछ व्यक्तियों का आरक्षण पुष्टिकृत है और अन्यों का प्रतीक्षा सूची में है तो पुष्टिकृत यात्रियों को भी लिपिकीय प्रभार कम करने के पश्चात् किराए का पूर्ण प्रतिदाय अनुज्ञेय होगा परंतु यह तब जब संपूर्ण तत्काल टिकट रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से पूर्व छः घंटे के भीतर या रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय से दो घंटे तक अभ्यर्पित कर दिया गया है ।

7. उक्त नियम के नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"9. आरक्षित,रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट पर यात्रा का मुल्तवी किया जाना या पूर्व नियतन ।

(1) पुष्टिकृत या रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट पर यात्रा का मुल्तवी किया जाना उसी दर्जे में और उसी गंतव्य के लिए या उसी रेलगाड़ी द्वारा किसी उच्चतर दर्जे के लिए या किन्हीं पश्चात्वर्ती दिनों के लिए किसी अन्य रेलगाड़ी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञात किया जाएगा .-

(i) टिकट को आरक्षण कार्यालय में कार्यकारी घंटों के दौरान और उस रेलगाड़ी के, जिसमें मूलतः टिकट बुक किया गया है, प्रस्थान के नियत समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व अभ्यर्पित कर दिया जाता है ;

(ii) उस रेलगाड़ी में, जिसमें नए आरक्षण की अपेक्षा की गई है, पुष्टिकृत या रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) या प्रतीक्षा सूचीबद्ध स्थान उपलब्ध है ;

(iii) पुष्टिकृत टिकट की दशा में उस दर्जे के लिए, जिसके लिए आरक्षण की अपेक्षा की गई है, नई आरक्षण फीस संदत्त कर दी गई है ; और

(iv) आरएसी या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट की दशा में लिपिकीय प्रभार संदत्त कर दिया गया है ।

(2) पुष्टिकृत या रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट पर यात्रा का पूर्व नियतन उसी दर्जे में और उसी गंतव्य के लिए या उसी रेलगाड़ी द्वारा किसी उच्चतर दर्जे के लिए या किन्हीं पूर्ववर्ती दिनों के लिए किसी अन्य रेलगाड़ी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञात किया जाएगा –

(i) टिकट को आरक्षण कार्यालय में कार्यकारी घंटों के दौरान और उस रेलगाड़ी के, जिसमें मूलतः टिकट बुक किया गया है, प्रस्थान के नियत समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व अभ्यर्पित कर दिया जाता है ;

(ii) उस रेलगाड़ी में, जिसमें नए आरक्षण की अपेक्षा की गई है, पुष्टिकृत या रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) या प्रतीक्षा सूचीबद्ध स्थान उपलब्ध है ;

(iii) पुष्टिकृत टिकट की दशा में उस दर्जे के लिए, जिसके लिए आरक्षण की अपेक्षा की गई है, नई आरक्षण फीस संदत्त कर दी गई है ; और

(iv) रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट की दशा में लिपिकीय प्रभार संदत्त कर दिया गया है ।

(3) मूलतः बुक की गई यात्रा और संशोधित यात्रा के किराए में अंतर की दशा में किराए के अंतर की यथास्थिति, प्रतिदाय या वसूली उप +नियम (1) और उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

(4) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन यात्रा का मुल्तवी किया जाना या पूर्व नियतन केवल एक बार अनुज्ञात किया जाएगा ।

(5) तत्काल टिकट से भिन्न सामान्य रेलगाड़ी से यात्रा का मुल्तवी किया जाना या पूर्व नियतन तत्काल प्रभार के संदाय पर भी तत्काल कोटा के विरुद्ध लागू नहीं होगा"।

8. उक्त नियम के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"11. रेलगाड़ियों के विलंब से चलने के कारण यात्रा का प्रारंभ न किया जाना या चूक जाना —

(1) यदि रेलगाड़ी यात्रा के आरंभिक स्टेशन से रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से तीन घंटे अधिक विलंब से चलने के कारण यात्रा नहीं की गई है तो आरक्षित, रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट रखने वाले सभी यात्रियों से, इस शर्त के अधीन रहते हुए कोई रद्दकरण प्रभार या लिपिकीय प्रभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा और उन्हें पूरे किराए का प्रतिदाय किया जाएगा, कि -

(i) टिकट को रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय तक अभ्यर्पित कर दिया जाता है ;

(ii) पूर्ण प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए ई-टिकटों की दशा में टीडीआर (टिकट निक्षेप रसीद) को रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय से पहले ऑनलाइन फाइल कर दिया जाता है ।

(2) रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय के पश्चात् टिकट के रद्दकरण या अभ्यर्पण की दशा में या यदि किराए के प्रतिदाय के लिए अनुरोध को रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय के पश्चात् ऑनलाइन फाइल किया गया है तो किराए का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(3) जहां कोई यात्री जिसके पास टिकट है, चाहे उस टिकट पर आरक्षण कराया गया हो या नहीं और जिस रेलगाड़ी से उसने यात्रा की थी, उसके विलंब से चलाने के कारण किसी जंक्शन स्टेशन पर उससे संबद्ध रेलगाड़ी छूट जाती है वहां यात्रा किए गए भाग का किराया प्रतिधारित कर लेने के पश्चात् यात्रा न किए गए भाग के किराए का, कोई रद्दकरण प्रभार या लिपिकीय प्रभार उद्गृहीत किए बिना, प्रतिदाय कर दिया जाएगा यदि वह ऐसा टिकट रेलगाड़ी के, जिससे उसने यात्रा की है, पंहुचने के वास्तविक समय के तीन घंटे के भीतर प्रतिदाय के लिए अभ्यर्पित कर देता है और किराए का प्रतिदाय उसी जंक्शन स्टेशन पर मंजूर कर दिया जाएगा ।

9. उक्त नियम के नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"17. खोए हुए, मिल न पा रहे, फटे या विकृत टिकट.—

(1) खोए हुए या मिल न पा रहे टिकट की बाबत कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

(2) फटे या विकृत टिकट की बाबत किराए का प्रतिदाय मंजूर किया जाएगा यदि इसकी असलियत और प्रमाणिकता इस पर दृश्य विशिष्टियों के आधार पर सत्यापन योग्य है ।

(3) यदि खोए हुए, मिल न पा रहे, फटे या विकृत टिकट की आरक्षण प्रास्थिति, यात्रा करने के प्रयोजन के लिए दूसरा टिकट जारी करने के लिए आवेदन की प्राप्ति के समय पर, आरक्षित है या रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) है और दूसरा टिकट संबद्ध रेलगाड़ी के आरक्षण चार्ट तैयार होने से पूर्व चाहा गया है, तब स्टेशन मास्टर दूसरे दर्जे और शायिका दर्जे की दशा में पचास रूपए प्रति यात्री और अन्य दर्जे की दशा में एक सौ रुपए प्रति यात्री संदाय करने पर मूल टिकट के बदले में दूसरा टिकट जारी करेगा ।

(4) यदि खोए हुए या मिल न पा रहे आरक्षित टिकट के बदले दूसरा टिकट संबद्ध रेलगाड़ी के आरक्षण चार्ट के बनने के पश्चात् मांगा गया है, तो यह कुल किराए के पचास प्रतिशत के समतुल्य प्रभार के संदाय करने पर जारी किया जाएगा ।

2531 GI/13 2

(5) दूसरा टिकट संबद्ध रेलगाड़ी के आरक्षण चार्ट के बनने के पश्चात् रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) की बाबत जारी नहीं किया जाएगा ।

(6) यदि फटे या विकृत आरक्षित या रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) वाले टिकट के बदले दूसरा टिकट संबद्ध रेलगाड़ी के आरक्षण चार्ट के बनने के पश्चात् मांगा गया है, तो यह कुल किराए के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य प्रभार के संदाय करने पर जारी किया जाएगा ।

(7) पार्टी द्वारा बुक कराए गए डिब्बा टिकट या विशेष रेलगाड़ी टिकट की बाबत दूसरा टिकट, कुल किराए के दस प्रतिशत के समतुल्य प्रभार के संदाय करने पर रेलगाड़ी के प्रस्थान के समय तक जारी किया जाएगा ।

(8) उपनियम (3), उपनियम (4), उपनियम (5) और उपनियम (6) के अधीन संदत्त प्रभार की बाबत कोई प्रतिदाय मंजूर नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के, जहां खोया हुआ या मिल न पा रहा टिकट, दूसरा टिकट जारी किए जाने के पश्चात् मिल जाता है और रेलगाड़ी के प्रस्थान से पहले दूसरे टिकट के साथ प्रस्तुत किया जाता है और उस दशा में दूसरा टिकट जारी करने के लिए संगृहीत प्रभार, बीस रूपए की न्यूनतम कटौती के अधीन रहते हुए पांच प्रतिशत कटौती के पश्चात्, प्रतिदाय किया जाएगा ।

(9) यदि यात्रा नहीं की गई है तो मूल टिकट का रद्दकरण प्रभार इन नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रूप में अवधारित किया जाएगा ।

(10) यदि यात्री, जिसने खोए हुए, मिल न पा रहे, फटे या विकृत हुए आरक्षित या रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) टिकट पर रेलगाड़ी में अधिक प्रभार संदत्त किया है, रेलगाड़ी में संदत्त प्रभार के प्रतिदाय को देने के लिए किसी रेल प्रशासन को आवेदन करता है तो उस रेल प्रशासन के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (प्रतिदाय), ऐसी पूछताछ करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, प्रति यात्री एकल यात्रा टिकट किराए का पचास प्रतिशत रद्दकरण प्रभार प्रतिधारित करने के पश्चात्, रेलगाड़ी में वसूल किए गए कुल प्रभार का प्रतिदाय कर सकते हैं, परंतु यह तब जब किसी ने भी मूल टिकट पर पूर्वतर प्रतिदाय नहीं कर लिया हो" ।

10. उक्त नियमों के नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"21. अन्य परिस्थितियों में यात्री आरक्षण पद्धति (पीआरएस) टिकटों के प्रतिदाय के लिए आवेदन.—

(1) इन नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने से भिन्न या ऐसी परिस्थितियां जैसे बंद या आंदोलन या बाढ़ आदि के अधीन किराए के प्रतिदाय के लिए यात्री, टिकट के रद्दकरण के लिए आरक्षण खिड़की या स्टेशन या चालू खिड़कियों पर नहीं पहुंच पाते है तो उन दशाओं में यात्री को टीडीआर (टिकट निक्षेप रसीद) जारी किया जाएगा और यात्री यात्रा प्रारंभ करने की तारीख से दस दिन के भीतर उस रेल प्रशासन के जिसने टिकट जारी किया था, मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (प्रतिदाय) को मूल टीडीआर (टिकट निक्षेप रसीद) संलग्न करते हुए प्रतिदाय के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में टीडीआर (टिकट निक्षेप रसीद) रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय के पश्चात् केवल तीन दिन तक जारी किया जाएगा"।

[फा.सं.टीसी II/2003/12/ प्रतिदाय नीति]

ए. मधुकुमार रेड्डी, कार्यकारी निदेशक, यात्री विपणन

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र संख्यांक सा.का.नि.410(अ), तारीख 24 जुलाई 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :-

(i) सा.का.नि.1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2000 ;

(ii) सा.का.नि. 212(अ), तारीख 1 मार्च, 2000 ;

(iii) सा.का.नि. 937(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2000 ;

(iv) सा.का.नि.145(अ), तारीख 1 मार्च, 2001 ;

(v) सा.का.नि.165(अ), तारीख 20 मार्च, 2006 ; और

(vi) सा.का.नि. 453(अ), तारीख 1 अगस्त, 2006 ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2013

G.S.R. 362(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1), read with clause (b) of sub-section (2), of section 60 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Passengers (Cancellation of ticket and refund of fare) Rules, 1998, namely:—

1. (1) These rules may be called the Railway Passengers (Cancellation of ticket and refund of fare) Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the 1st day of July, 2013 .

2. In the Railway Passengers (Cancellation of ticket and refund of fare) Rules, 1998 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2 after clause (i), the following clauses shall be inserted, namely: —

(i) '(j) "ARP" means advance reservation period upto which a reserved ticket can be booked for a future journey date;
(ii) (k) "confirmed ticket" means a ticket on which a seat or berth has been reserved;
(iii) (l) "TDR" means ticket deposit receipt issued to the passengers in lieu of the surrendered ticket, at the station wh ere the ticket has been surrendered by the passenger;
(iv) (m) "tatkal ticket" means a ticket with shorter advance reservation period, issued to meet the requirements of those passengers who have to travel at short notice;
(v) (n) "waitlisted ticket" means a ticket on which no berth or seat has been allotted.'

3. For rule 4 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: —

"4. Levy of clerkage.-

Subject to other provisions of these rules, station master shall levy a clerkage charge per passenger for cancellation of unreserved, wait-listed and RAC tickets at the rate of rupees fifteen for second class (unreserved) and rupees thirty for second class (reserved) and other classes".

4. For rule 5 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: —

"5. Unused tickets on which no reservation has been made.-

If a ticket on which no reservation of a seat or berth has been made is presented to the station master for cancellation, refund of fare shall be made on every such ticket after deducting the clerkage-

(i) the ticket is presented for cancellation within three hours of issue of ticket;

(ii) in case of tickets issued in advance, the ticket is presented upto 2400 hours of the day preceding the day of journey".

5. For rule 6 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: —

"6. Unused tickets on which reservation has been made. —

1. Subject to the provisions of these rules, if a ticket on which reservation of a seat or berth has been made is presented by the passenger or his agent to a station master for cancellation, refund of fare shall be made after deducting cancellation charges from the fare as follows: —

(a) if the ticket is presented for cancellation more than forty eight hours in advance of the scheduled departure of the train, a minimum per passenger cancellation charge shall be deducted at the flat rate of rupees one hundred and twenty for air conditioned first class/executive class, rupees one hundred for airconditioned-II tier/first class, rupees ninety

for airconditioned III-tier/3 economy/airconditioned chair car, rupees sixty for sleeper class and rupees thirty for second class.

(b) if the ticket is presented for cancellation between forty eight hours and upto six hours before the scheduled departure of the train, cancellation charge shall be twenty five per cent of the fare subject to a minimum of the cancellation charge referred to in clause (a);

(c) if the ticket is presented for cancellation within six hours before the scheduled departure of the train and upto two hours after the actual departure of the train irrespective of distance, the cancellation charge shall be fifty per cent. of the fare subject to a minimum of the cancellation charge referred to in clause (a); and

(d) the passenger may get the ticket cancelled from any Passenger Reservation System (PRS) counters or the designated current counters:

Provided that for the night trains leaving between 21.00 hours and 06.00 hours (actual departure), refund shall be admissible at the station within first two hours after the opening of reservation office, in case no current counters are available at the station originating the journey;

(2) No refund shall be granted on the reserved ticket if it is surrendered for cancellation after two hours of the actual departure of the train.

(3) In case, on a party ticket or a family ticket issued for travel of more than one person, some persons have confirmed reservation and others are on waiting list, full refund of fare, less clerkage, shall be admissible for confirmed passengers also provided that the entire ticket is surrendered for cancellation within six hours before the scheduled departure of the train and upto two hours after actual departure of the train".

6. For rule 7 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely: —

"7. Unused waitlisted or RAC tickets or waitlisted. —

(1) If a waitlisted ticket or RAC ticket is presented for cancellation, refund of fare shall be made after deducting the clerkage in the following manner, namely:-

(i) the ticket is presented for cancellation upto three hours after the actual departure of the train irrespective of the distance;

(ii) the passenger may get the tickets cancelled from any Passenger Reservation System(PRS) counters or the designated current counters;

(iii) no refund of fare shall be granted on RAC ticket or waitlisted ticket after three hours of the actual departure of the train.

(2) In case no current counters are available at the station originating the journey for night trains leaving between 21.00 hours and 06.00 hours (actual departure), refund of fare shall be admissible at the station within first two hours after the opening of reservation office.

(3) In remote and hill areas as identified by the Zonal Railway with the prior approval of the General Manager and printed in the time table, for night trains leaving between 19.00 hours and 06.00 hours (actual departure) refund shall be admissible at the station within first two hours after the opening of reservation or booking office, in case there is no reservation counters or booking office or current counters available in that area.

(4) Where confirmed reservation has been provided to RAC or waitlisted ticket holder at any time upto the final preparation of reservation chart, such ticket shall be treated as a reserved ticket and cancellation charge shall be payable in accordance with rule 6.

7A. Cancellation of e-tickets.—(1) The e-ticket may be booked and cancelled through internet and the refund of fare shall be credited to the customer's account after deducting the charges applicable.

(2) In case of a confirmed e-ticket, refund of fare shall be granted in accordance with rule 6.

(3) In case of RAC e-ticket, refund of fare shall be granted in accordance with rule 7.

(4) In case of the waitlisted e-ticket on which status of all the passengers is on waiting list even after preparation of reservation charts, names of all such passengers booked on that Passenger Name Record

(PNR) shall be dropped from the reservation chart and refund of fare shall be credited to the customer's account after deducting the clerkage.

(5) In case on a party e-ticket or a family e-ticket issued for travel of more than one person, some persons have confirmed reservation and others are on the list of RAC and waiting list, then in case of passengers on RAC or waitlisted not travelling, a certificate has to be obtained from the ticket checking staff to that effect and refund of fare shall be processed online through TDR, indicating the details of the certificate issued by ticket checking staff.

(6) The online TDR shall be filed upto seventy two hours of actual arrival of the train at passenger's destination and the original certificate issued by the ticket checking staff is to be sent through post to Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC).

(7) The fare shall be refunded by Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) to the customer's account after due verification.

(8) In case of e-tickets (confirmed or RAC), if the reservation charts have been prepared, online TDR is required to be filed for obtaining refund.

(9) No refund of fare shall be admissible on e- ticket having confirmed reservation in case the request for refund is filed online after two hours of the actual departure of the train.

(10) No refund of fare shall be admissible on RAC e-tickets in case the request for refund is filed online after three hours of the actual departure of the train.

7B. Refund on Tatkal tickets.—

(1) No refund of fare shall be admissible on confirmed Tatkal ticket.

(2) In case of Tatkal ticket on waitlist, refund of fare shall be granted in accordance with rule 7.

(3) In case on a party Tatkal ticket or a family tatkal ticket issued for travel for more than one person, some persons have confirmed reservation and others are on waiting list, full refund of fare, less clerkage, shall be admissible for confirmed passengers also provided that the entire tatkal ticket is surrendered for cancellation within six hours before the scheduled departure of the train or upto two hours of the actual departure of the train.

7. For rule 9 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"9. Postponement or preponement of journey on a reserved, RAC or waitlisted ticket.

(1) The postponement of journey on confirmed or RAC or waitlisted ticket shall be allowed in the same class and for the same destination or any higher class by the same train or by any other train for any subsequent days, subject to condition that.-

(i) the ticket is surrendered during the working hours of reservation office and at least forty eight hours before the scheduled departure of the train in which originally booked;

(ii) the confirmed or RAC or waitlisted accommodation is available in the train in which fresh reservation is required;

(iii) in case of confirmed ticket, fresh reservation fee for the class for which reservation is required, is paid; and

(iv) in case of RAC or waitlisted ticket, clerkage charge is paid.

(2) The preponement of journey on confirmed or RAC or waitlisted ticket shall be allowed in the same class and for the same destination or any higher class by the same train or by any other train for any earlier days, subject to condition that —

(i) the ticket is surrendered during the working hours of reservation office and at least forty-eight hours before the scheduled departure of the train in which originally booked;

(ii) the confirmed or RAC or waitlisted accommodation is available in the train in which fresh reservation is required;

(iii) in case of confirmed tickets, fresh reservation fee for the class for which reservation is required, is paid; and

(iv) in case of RAC or waitlisted ticket, clerkage charge is paid.

(3) In case of difference in fares for originally booked journey and revised journey, the difference of fare shall be refunded or recovered, as the case may be, subject to the provisions of sub rules (1) and (2).

(4) The postponement or preponement of journey under the sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be allowed only once

(5) The postponement or preponement of journey on normal train ticket other that Tatkal ticket shall not be applicable against Tatkal Quota even on payment of Tatkal charges".

8. For rule 11 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:

"11. Non-commencement or missing of journey due to late running of trains. –

(1) No cancellation charge or clerkage shall be levied and full fare shall be refunded to all passengers holding reserved, RAC and waitlisted tickets, if the journey is not undertaken due to late running of the train by more than three hours of the scheduled departure of the train from the station commencing the journey subject to condition that –

(i) the ticket is surrendered upto the actual departure of the train;

(ii) in case of e-tickets, the TDR is filed online before the actual departure of the train for availing full refund.

(2) In case the ticket is cancelled or surrendered or if the request for refund of fare is filed online after the actual departure of the train, no refund of fare shall be admissible.

(3) Where a passenger holding a ticket, with or without reservation, misses connection for continued journey by another train at any junction station owing to late running of the train by which he had been travelling, the fare for the travelled portion shall be retained and the balance amount of ticket shall be refunded as the fare for untravelled portion, without levying any cancellation charge or clerkage, if he surrenders the ticket for such refund within three hours of the actual arrival of the train by which he had travelled and the refund of fare shall be granted at the junction station".

9. For rule 17 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"17. Lost, misplaced, torn or mutilated tickets. -

(1) No refund of fare in respect of a lost or misplaced ticket shall be granted.

(2) Refund of fare shall be granted in respect of a torn or mutilated ticket if its genuineness and authenticity are verifiable on the basis of the particulars visible on the face of the ticket.

(3) If the reservation status of a lost, misplaced, torn or mutilated ticket, at the time of receipt of the application for issuance of a duplicate ticket for the purpose of undertaking journey, is confirmed or RAC and that the duplicate ticket is sought before preparation of reservation chart of the concerned train, the station master shall issue a duplicate ticket in lieu of the original ticket on payment of rupees fifty per passenger in case of second and sleeper class and rupees one hundred per passenger for other classes.

(4) If a duplicate ticket in lieu of a lost or misplaced reserved ticket is sought after preparation of reservation chart of the concerned train, it shall be issued on payment of a charge equivalent to fifty per cent of the total fare.

(5) No duplicate ticket shall be issued in respect of RAC tickets after preparation of reservation chart of the concerned train.

(6) If duplicate ticket in lieu of a torn or mutilated reserved or RAC ticket is sought after preparation of reservation chart of the concerned train, it shall be issued on payment of a charge equivalent to twenty-five per cent of the total fare.

(7) A duplicate ticket in respect of a party coach ticket or a special train ticket shall be issued upto the time of departure of the train, on payment of a charge equivalent to ten per cent of the total fare.

(8) No refund of fare shall be granted in respect of charges paid under sub-rules (3), (4), (5) and (6) except in cases where the lost or misplaced ticket is traced after the issuance of a duplicate ticket and presented alongwith the duplicate ticket before departure of the train and in that case charges collected

towards the issuance of duplicate ticket shall be refunded after deducting five per cent thereof subject to a minimum deduction of rupees twenty.

(9) In case the journey is not undertaken, the cancellation charges on the original ticket shall be determined as specified in these rules.

(10) If the passenger, who has paid excess charges in train on account of his reserved ticket or RAC ticket being lost, misplaced, torn or mutilated, makes an application to a railway administration for grant of refund of the charges paid in train, the Chief Commercial Manager (Refunds) of that railway administration may, after making such inquiry as he may deem necessary, grant refund of fare total charges realised in the train, after retaining the cancellation charges at fifty per cent of a single journey ticket fare per passenger provided that no one has taken refund earlier on the original ticket".

10. For rule 21 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: —

"21. Application for refund of Passenger Reservation System (PRS) tickets in other circumstances. —

(1) For refund of fare under circumstances other than those specified in these rules or under circumstances like 'bandh' or agitations or floods, etc., the passengers could not reach the reservation counter or station or current counters for cancellation of tickets, in those cases, a TDR shall be issued to the passenger and the passenger may apply for refund of fare within ten days from the day of commencement of journey to the Chief Commercial Manager (Refunds) of the railway administration under whose jurisdiction the TDR issuing station comes, enclosing the original TDR.

(2) In the circumstances specified in sub-rule(1), the TDR shall be issued only upto three days after the scheduled departure of the train".

[F.No. TCII/2003/12/Refund Policy]

A. MADHUKUMAR REDDY, Executive Director, Passenger Marketing

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 410(E), dated the 24th July, 1998 and subsequently amended vide the following notifications: —

(i) G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 2000;
(ii) G.S.R. 212(E), dated the 1st March, 2000;
(iii) G.S.R. 937(E), dated the 27th December, 2000;
(iv) G.S.R. 145 (E), dated the 1st March, 2001;
(v) G.S.R.165 (E), dated the 20th March, 2006; and
(vi) G.S.R. 453(E), dated the 1st August, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054